

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/5622

दिनांक - 30.06.25

प्रार्थीगण बनाम

अप्रार्थीगण

1 खेमाराम पुत्र
मगाराम 2 कुटली
पत्नि मगाराम 3
पदमों 4 बाबूदेवी 5
भोमाराम 6 सताराम
पिसरान मगाराम
जाति जाट निवासी
पांचाणियों की ढाणी,
भाडखा तसहील
बाड़मेर ग्रामीण जिला
बाड़मेर।

1 सताराम पुत्र हरदानराम 2 मिरगों पत्नि हरदानराम 3 नथू पत्नि
रावताराम 4 मोटाराम पुत्र किरपाराम 5 वीरमाराम पुत्र केसराराम जाति
जाट निवासी पांचाणियों की ढाणी, भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण
जिला बाड़मेर 6 कुम्भाराम पुत्र हुकमाराम 7 चेतनराम पुत्र हरचंदराम 8
चुनाराम पुत्र पेमाराम 9 जीया पुत्र सोनाराम 10 टीकमाराम 11 तगी
पिसरान पेमाराम 12 तुलसी पत्नि पेमाराम 13 पोकराराम पुत्र पेमाराम
14 भोमाराम पुत्र हरचंदराम 15 भोमाराम पुत्र पेमाराम 16 मूलीदेवी पत्नि
हुकमाराम 17 मोटाराम पुत्र हरचंदराम 18 विशनाराम पुत्र भोजाराम
जाति जाट निवासी ताजोणी गोदारों की ढाणी भाडखा तसहील बाड़मेर
ग्रामीण जिला बाड़मेर 19 चेतनराम 20 हीराराम पिसरान पैलादराम
जाति जाट निवासी भीमडा तसहील बाटाडू 21 अमेदाराम पुत्र
किरपाराम जाति जाट निवासी ताजोणी गोदारों की ढाणी, भाडखा
तहसील बाड़मेर ग्रामीण 22 अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य
अभियांत्रिकी विभाग, लिफ्ट परियोजना बाड़मेर 235एनए।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 148/2025

दिनांक- 25/06/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा पांचाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण
जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 845/569 रकबा 29.9305 हैक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम
स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है।
उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए
एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग
द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे।
कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण
द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(वीरमा राम)

उपखण्ड अधिकारी,
उप खण्ड अधिकारी


दिनांक- बाड़मेर

30.06.25

क्रमांक :- रीडर/2025/5623-26

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड
उपरिस्थत रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी खेमाराम पुत्र मगाराम जाति जाट निवासी पांचाणियों की ढाणी, भाडखा तसहील बाड़मेर ग्रामीण
जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण सताराम पुत्र हरदानराम वगैराह जाति जाट निवासी पांचाणियों की ढाणी, भाडखा तहसील
बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर


उपखण्ड अधिकारी,
उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर